

**कार्यालय आवासीय अभियन्ता**  
**राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड चतुर्थ, जोधपुर**  
**सेक्टर-8-बी-105, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर**

क्रमांक : 814

दिनांक : 31/9/15


**निविदा सूचना संख्या 01/2015-16**

राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए रजिस्ट्रेशन के नये नियमानुसार मण्डल में पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 12.10.2015 से 14.10.2015 तक बेची जाकर दिनांक 15.10.2015 को दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन दोपहर 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदाएँ बेचने/खोले जाने की तिथि को यदि कोई राजकीय अवकाश हो तो निविदा बेचने/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस होगी। मण्डल में पंजीकृत निविदादाता से 1/2 प्रतिशत धरोहर राशि का पे-ऑर्डर/डी.डी. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड चतुर्थ, जोधपुर के पक्ष में देना होगा। निविदा प्राप्ति के साथ पंजीकरण की सत्यापित छांयाप्रति, विभाग में बकाया नहीं का शपथ पत्र, सर्विस टेक्स पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित छांयाप्रति, तथा पे-ऑर्डर/डी.डी. देने के पश्चात् ही निविदा प्रपत्र जारी किये जायेंगे।

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रुपये	निविदा शुल्क रुपये	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	कुडी भगतासनी योजना जोधपुर सेक्टर- 4 में निर्मित मध्यम आय वर्ग 'ब' (जी+3) 96 फ्लेटों के केम्पस में पार्क में लॉन लगाने का कार्य व वृक्षारोपण का कार्य एवं रख-रखाव का कार्य	2.03	4100/-	500/-	24 माह

**नियम एवं शर्तें :**

- (1) किसी भी निविदा एवम् समस्त निविदाएँ बिना कारण बतायें निरस्त की जा सकती है।
- (2) राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्य निधि एवं सर्विस टेक्स अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार दायित्व ठेकेदारों को वहन करना होगा।
- (3) निविदा आवेदन-पत्र के साथ निर्माता/अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र की सत्यापित छांयाप्रति, पे-ऑर्डर एव बिजली कर के क्लियरेन्स की सत्यापित छांयाप्रति संलग्न करनी होगी।
- (4) निविदा प्रपत्र केवल नये नियमों के अनुसार निर्माता/अधिकृत विक्रेता को ही जारी किये जायेंगे।
- (5) विद्युत सामग्री आपूर्ति हेतु निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता की निविदा ही स्वीकार्य होगी।
- (5) सशर्त निविदाएँ स्वीकार्य नहीं होगी।
- (6) अन्य शर्तें निविदा प्रपत्रानुसार।
- (7) टेलेक्स, तार, फैक्स से निविदा देने पर अमान्य होगी।

  
आवासीय अभियन्ता  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
खण्ड चतुर्थ, जोधपुर.

**प्रतिलिपि :-**

1. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर
2. अति. मुख्य अभियन्ता, द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
3. वित्तीय सलाहाकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम / द्वितीय, जोधपुर
5. आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड द्वितीय, तृतीय, पी.एच.ई., जोधपुर।
6. नोटिस बोर्ड / ठेकेदार युनियन

आवासीय अभियन्ता